न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 32 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

.......प्रार्थी

बनाम

बिस्मिला स्वीट्स, लंगरखाना गली, गेट नं0 5, अजमेर जरिये अकरम गनी पुत्र श्री अशफाक गनी, निवासी—अन्दर कोट, केला बावडी, अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 31.10.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा मिठाई बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से तीन घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	624031	Bharat gas	15.4	29.400	14	Domestic
2	311796	Bharat gas	15.4	16	0.6	Domestic
3	540586	Bharat gas	15.9	23.00	7.100	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः तीन घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रयान गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री अयुब खान पुत्र श्री कयुम खान, निवासी—फकीराखेडा, किशनपुरा रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा तीन घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अप्रार्थी

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

की ओर से वकील हाजी फरआनउल्ला ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र प्रकरण में साक्ष्य लेखबद्ध करने का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वास्ते साक्ष्य नियत किया गया। अप्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु लगातार 7 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न तो साक्ष्य प्रस्तुत की गई एवं ना ही उपस्थित आये। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा अप्रार्थी की अनुपस्थिति पर एतराज व्यक्त करते हुए प्रकरण में उन्हें सुने जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी को रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई। अप्रार्थी/अभिभाषक अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 12.03.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दोनो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया जिसमे अप्रार्थी का कथन है कि उसका घर बडबाव अंदरकोट पहाडी क्षेत्र पर है। मेले के दौरान गैस ऐजेन्सी के द्वारा पहाडी क्षैत्र में सप्लाई नही दी जा रही थी। इस कारणवश अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर रिफिलिंग व लीकेज को सही करवाने के उद्देश्य से दुकान पर रखे थे। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नही किया गया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करें।

हमनें अप्रार्थी के प्रस्तुत जवाब तथ्यों के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये तीनो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर